APPENDIX XIII

मध्यप्रदेश पेन्शनर कल्याण निधि नियम, 1997

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई, 1997

क्र. 291-97- पी. डब्ल्यू. सी.-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण निधि नियम, 1997 है।

[1][(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।]

2. लागू होना.— ये नियम राज्य के समस्त पेंशनरों तथा उनके परिवार के सदस्यों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार की सेवा का ऐसा पेंशनर/परिवार पेंशनर जो प्ररूप "क" में सहायता के लिये आवेदन करता है;

(ख) **"सहायता"** से अभिप्रेत है, नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पेंशनर कल्याण निधि से प्रदान की जाने वाली सहायता;

(ग) **"बोर्ड"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का पेंशनर कल्याण बोर्ड;

(घ) **"संचालक"** से अभिप्रेत है संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश;

(ङ) **"कार्यकारिणी समिति"** से अभिप्रेत है, पेंशनर कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी समिति,

(च) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(छ) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की राज्य सरकार;

(ज) **"निधि"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित पेंशनर कल्याण निधि;

(झ) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है, कार्यकारिणी समिति का सदस्य;

(ञ) **"परिवार का सदस्य"** से अभिप्रेत है, पेंशनर के परिवार का ऐसा सदस्य जो मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47 में यथापरिभाषित है;

(ट) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष;

(ठ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1976 में क्रमश: उनके लिये दिया गया है।

4. पात्रता.— राज्य सरकार के पेंशनर तथा उनके परिवार के सदस्य, इन नियमों में उल्लेखित कारणों तथा सीमाओं तक निधि से सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे।

5. सहायता के लिये आधार.— इस निधि से सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये देय होगी :—

(एक) लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु,

(दो) दुर्घटना के कारण या प्राकृतिक विपत्ति के कारण विकलांगता,

(तीन) चश्मे, दांत, श्रवण यंत्र आदि के लिये,

(चार) तकनीकी शिक्षा के लिये,

(पाँच) स्केनिंग, डायलेसिस, स्ट्रेस टेस्ट, ई.सी.जी. तथा अन्य विशिष्ट प्रकार के टेस्ट बशर्ते कि ऐसी सुविधा

---

1. यह नियम म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ग) के पृष्ठ 143 पर दिनांक 22-8-1997 को प्रकाशित हुए।

शासकीय चिकित्सालय में न हो तथा ऐसा टेस्ट निजी चिकित्सालयों अथवा प्रायवेट लेब से कराये जाने की सिफारिश शासकीय चिकित्सक द्वारा की गयी है।

परन्तु राज्य के बाहर इलाज के लिये केवल दवाइयों का मूल्य तथा चिकित्सक की फीस सहायता की अधिकतम सीमा के अधीन अनुज्ञेय होगी, राज्य के बाहर उपचार राज्य के किसी मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर किया गया हो :

परन्तु यदि किसी मामले में उपरोक्तानुसार सिफारिश नहीं की गयी हो तो ऐसे प्रत्येक मामले में सहायता गुण-दोष के आधार पर कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत की जाएगी। राज्य के बाहर उपचार के लिये सहायता केवल उन बीमारियों के लिये तथा उन चिकित्सालयों में उपचार कराने पर ही दी जाएगी जो परिशिष्ट - एक में सूचीबद्ध हैं।

6. **सहायता की अधिकतम राशि.**— सहायता की राशि की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

(क) राज्य के भीतर एक वर्ष में रुपये 6,000 (छः हजार),

(ख) राज्य के बाहर प्रत्येक मामले में रुपये 20,000 (बीस हजार),

7. **सहायता की राशि.**— नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :—

(क)	लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु प्रत्येक मामले में	गुण दोष के आधार पर
(दो)	दुर्घटना से क्षतिग्रस्त होने पर या अन्य दैविक विपत्ति की स्थिति में प्रत्येक मामले में	गुण दोष के आधार पर
(तीन)	चश्मे के लिये	रुपये 350 (तीन सौ पचास केवल)
(चार)	दांतों के सेट के लिये	रुपये 1000 (एक हजार केवल)
(पांच)	श्रवण यंत्र के लिये	रुपये 700 (सात सौ केवल)
(छः)	तकनीकी शिक्षा के लिये	रुपये 1000 (एक हजार केवल)
(सात)	स्केनिंग/डायलेसिस स्ट्रेस टेस्ट/ ई.सी.जी. तथा विशेष प्रकार के टेस्ट हेतु	रुपये 1500 (पन्द्रह सौ केवल)

8. **सहायता राशि के लिये आवेदन.**— सहायता राशि हेतु प्ररूप "क" में आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों सहित संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा।

9. **कार्यकारिणी समिति का गठन तथा शक्तियाँ.**— (1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी।

(2) कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(एक) सभापति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(दो) चार अशासकीय सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा पेंशनर कल्याण बोर्ड के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(तीन) अपर संचालक, कोष एवं लेखा जो पेंशन कार्य का प्रभारी हो, कार्यकारिणी समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(3) निधि से सहायता स्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समिति को होंगे :

परन्तु कार्यकारिणी समिति के अस्तित्व में न रहने की कालावधि के दौरान राज्य के बाहर के मामलों के लिये ये अधिकार क्रमशः सचिव, वित्त तथा राज्य के अन्दर के मामलों के लिये यह अधिकार संचालक द्वारा प्रयोग किये जायेंगे।

10. सहायता स्वीकृत करने के लिए प्रक्रिया.— (क) सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच संचालक द्वारा की जाएगी तथा अपूर्ण अथवा नियमों के अन्तर्गत न आने वाले आवेदन-पत्र, आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे।

(ख) तदुपरांत उचित आवेदन-पत्रों को कार्यकारिणी समिति की बैठक में रखा जाएगा जो कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार संचालक द्वारा बुलाई जाएगी।

(ग) लंबित मामलों में विनिश्चय करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में उस स्थान या समय पर होगी जो सदस्य-सचिव द्वारा बैठक की सूचना में वर्णित किया जाए।

(घ) कार्यकारिणी समिति की उसी बैठक में विनिश्चय किया जाएगा जिसमें अशासकीय सदस्यों में से कम-से-कम दो सदस्य उपस्थित हों।

(ङ) कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृत मामलों में वित्तीय स्वीकृति के आदेश संचालक द्वारा प्रसारित किये जाएंगे। आवेदकों को स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना संचालक द्वारा की जाएगी।

11. स्वीकृत राशि का भुगतान.— स्वीकृत सहायता राशि का आवेदक को भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संचालक द्वारा किया जाएगा।

12. लेखा तथा संपरीक्षा.— संचालक, निधि का नियमित तथा आदिनांक लेखा बनाये रखेगा तथा उसकी संपरीक्षा महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा की जाएगी।

13. निर्वचन.— जहां इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो वह शासन के वित्त विभाग को निर्दिष्ट की जाएगी तथा सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

14. निरसन तथा व्यावृत्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रत्येक नियम, विनियम या आदेश (कार्यालयीन ज्ञापन को सम्मिलित करते हुये) निरसित हो जाएगा :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों, विनियमों या आदेश (कार्यालयीन ज्ञापन को सम्मिलित करते हुये) के अधीन पारित किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन पारित किया गया या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

परिशिष्ट — एक

(राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु बीमारियों तथा चिकित्सालयों की सूची)

(नियम 6 देखिए)

1. बीमारियों की सूची :

(एक) सभी प्रकार के कैंसर,

(दो) ओपन हार्ट सर्जरी,

(तीन) कार्डिएक फेल्यूलर,

(चार) गुर्दा प्रतिरोपण,

(पांच) जटिल नेत्र शल्य क्रिया,

(छः) जटिल न्यूरो सर्जरी,

(सात) जोड़ पुनःस्थापन।

2. अधिकृत अस्पतालों की सूची:

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली,

(दो) लोकनायक जयप्रकाश हास्पिटल, नई दिल्ली,

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई, 1997

[illegible] 1/97/P.W.C./चार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को [illegible] में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना -

ये नियम राज्य के समस्त पेंशनरों तथा उनके परिवार के सदस्यों पर लागू होगें।

3. परिभाषाएं -

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "आवेदक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार की सेवा का ऐसा पेंशनर/परिवार पेंशनर जो प्ररुप "क" में सहायता के लिये आवेदन करता है;

(ख) "सहायता" से अभिप्रेत है, नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पेंशनर कल्याण निधि से प्रदान की जाने वाली सहायता;

(ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का पेंशनर कल्याण बोर्ड;

(घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश;

(ड.) "कार्यकारिणी समिति"से अभिप्रेत है, पेंशनर कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी समिति;

(च) "प्ररुप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररुप;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की राज्य सरकार;

(ज) "निधि" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित पेंशनर कल्याण निधि;

(झ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, कार्यकारिणी समिति का सदस्य;

(ञ) "परिवार का सदस्य" से अभिप्रेत है, पेंशनर के परिवार का ऐसा सदस्य जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47 में यथापरिभाषित है;

(ट) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष,

(ठ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई है किन्तु परिभाषित नहीं की गई है, वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) रुल्स, 1976 में क्रमशः उनके लिये दिया गया है।

4. पात्रता -

राज्य सरकार के पेंशनर तथा उनके परिवार के सदस्य, इन नियमों में [illegible] सीमाओं तक निधि से सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे।

5. सहायता के लिये आधार -

इस निधि से सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए देय होगी :-

(एक) लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु,
(दो) दुर्घटना के कारण या प्राकृतिक विपत्ति के कारण विकलांगता,
(तीन) चश्में, दांत, श्रवण यंत्र आदि के लिये,
(चार) तकनीकी शिक्षा के लिये,
(पांच) स्केनिंग, डायलेसिस, स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी, तथा अन्य विशिष्ट प्रकार के टेस्ट यदि [illegible] ऐसी सुविधा शासकीय चिकित्सालय में न हो तथा ऐसा टेस्ट निजी चिकित्सालयों अथवा प्रायवेट लेब से कराये जाने की सिफारिश शासकीय चिकित्सक द्वारा की गयी है:

परन्तु राज्य के बाहर इलाज के लिये केवल दवाईयों का मूल्य तथा चिकित्सक की [illegible] सहायता की अधिकतम सीमा के अधीन अनुज्ञेय होगी, यदि राज्य के बाहर उपचार राज्य के [illegible] मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर किया गया हो:

परन्तु यदि किसी मामले में, उपरोक्तानुसार सिफारिश नहीं की गयी हो, तो ऐसे प्रत्येक मामले में सहायता गुण-दोष के आधार पर कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत की जाएगी। राज्य के बाहर उपचार के लिये सहायता केवल उन बीमारियों के लिये तथा उन चिकित्सालयों में उपचार कराने पर ही दी जाएगी। जो परिशिष्ट-एक में सूचीबद्ध है।

6. सहायता की अधिकतम राशि -

सहायता की राशि की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :-

(क) राज्य के भीतर एक वर्ष में रुपये 6,000 (छ: हजार)
(ख) राज्य के बाहर प्रत्येक मामले में रुपये 20,000 (बीस हजार)

7. सहायता की राशि -

[illegible] में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:

[illegible] तथा गंभीर बीमारी हेतु प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर।
(दो) दुर्घटना से [illegible] होने पर या अन्य दैविक विपत्ति की [illegible] गुण दोष के आधार पर।
(तीन) [illegible] के लिये रुपये 350 (तीन सौ पचास केवल)

रुपये 1000 (एक हजार केवल)
रुपये 700 (सात सौ केवल)
रुपये 1000 (एक हजार केवल)
हेतु रुपये 1500 (पन्द्रह सौ केवल)
प्रकार के टेस्ट हेतु

आवेदन -

प्रपत्र "क" में आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों सहित संचालक को प्रस्तुत

कारिणी समिति का गठन तथा शक्तियां -

(1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक कार्यकारिण समिति गठित की जाएगी।

(2) कार्यकारिण समिति में निम्नलिखित होगें:-

(एक) सभापति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(दो) चार अशासकीय सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा पेंशनर कल्याण बोर्ड के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएगे;

(तीन) अपर संचालक कोष एवं लेखा जो पेंशन कार्य का प्रभारी हो, कार्यकारिणी समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(3) निधि से सहायता स्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगें:

परन्तु कार्यकारिणी समिति के अस्तित्व में न रहने की कालावधि के दौरान राज्य के बाहर के मामलों के लिए ये अधिकार क्रमशः सचिव, वित्त तथा राज्य के अंदर के मामलों के लिए यह अधिकार संचालक द्वारा प्रयोग किये जायेंगे।

10. **सहायता स्वीकृत करने के लिये प्रक्रिया -**

(क) सहायता के लिये प्राप्त आवेदनों की जांच संचालक द्वारा की जाएगी तथा अपूर्ण अथवा नियमों के अंतर्गत न आने वाले आवेदन-पत्र, आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे।

(ख) तद-उपरांत उचित आवेदन-पत्रों को कार्यकारिणी समिति की बैठक में रखा जाएगा, जो कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार संचालक द्वारा बुलाई जाएगी।

(ग) लंबित मामलों में विनिश्चय करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में उस स्थान या समय पर होगी जो सदस्य सचिव द्वारा बैठक की सूचना में वर्णित किया जाए।

(घ) कार्यकारिणी समिति की उसी बैठक में विनिश्चय किया जाएगा जिसमें सदस्यों में से कम से कम दो सदस्य उपस्थित हों।

(ड़) कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृत मामलों में वित्तीय स्वीकृति के संचालक द्वारा प्रसारित किये जाएंगे। आवेदकों को स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना संचालक द्वारा दी जाएगी।

11. स्वीकृत राशि का भुगतान -

स्वीकृत सहायता-राशि का आवेदक को भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संचालक द्वारा किया जाएगा।

12. लेखा तथा संपरीक्षा -

संचालक, निधि का नियमित तथा आदिनांक लेखा बनाये रखेगा तथा उसकी संपरीक्षा महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा की जाएगा।

13. निर्वचन -

जहां इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो वह शासन के वित्त विभाग को निर्दिष्ट की जाएगी तथा सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

14. निरसन तथा व्यावृत्ति

इन नियमों के प्रारंभ होने पर ऐसे प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक नियम, विनियम या आदेश (कार्यालयीन ज्ञापन को सम्मिलित करते हुये) निरसित हो जाएगा:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों, विनियमों या आदेश (कार्यालयीन ज्ञापन को सम्मिलित करते हुये), के अधीन पारित किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन पारित किया गया या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
::::: मंत्रालय :::::
भवन, भोपाल-462004

/// अधिसूचना ///

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 1999

...यू. ओ. /आर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक ...शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, ...कल्याण निधि नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं,

संशोधन

...नियमों में -

(1) नियम "2" के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"2. ये नियम मध्यप्रदेश राज्य में निवास करने वाले राज्य सरकार के समस्त पेंशनरों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को लागू होंगे।"

(2) नियम "4" के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"4. पात्रता :-मध्यप्रदेश राज्य में निवास करने वाले राज्य सरकार के समस्त पेंशनर तथा उनके परिवार के सदस्य, इन नियमों में प्रगणित कारणों से, इन नियमों के अधीन यथा विहित सीमा तक, उक्त निधि से सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।"

(3) नियम "4" के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"4-क. राज्य सरकार, उन समस्त पेंशनरों के लिए, जो राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों और जो मध्यप्रदेश राज्य में निवास करते हों, प्रति पेंशनर प्रति वर्ष पाँच रुपए की दर से राशि का निधि में अभिदाय करेगी तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बजट उपबंध, प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष-2054-कोष एवं लेखा प्रशासन-800 अन्य व्यय-पेंशनर कल्याण निधि से सहायता के अधीन किया जाएगा।"

(4). नियम "5" के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए ।

(5). नियम "6" के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"6. सहायता की सीमा:- नियम 4-क के अधीन सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :-

(क). राज्य के भीतर उपचार के लिए :-

(एक) ऐसे पेंशनर जो चतुर्थ वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, 6,000/- रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उपगत व्यय का सौ प्रतिशत ।

(दो) ऐसे पेंशनर जो तृतीय वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, 3,000/- रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, उपगत व्यय का पचास प्रतिशत ; और

(तीन) ऐसे पेंशनर जो द्वितीय वर्ग तथा प्रथम वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, 1,500/- रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उपगत व्यय का पच्चीस प्रतिशत ।

(ख). राज्य के बाहर उपचार के लिए :-

(एक) ऐसे पेंशनर जो चतुर्थ वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, 20,000/- रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उपगत व्यय का सौ प्रतिशत ।

(दो) ऐसे पेंशनर जो तृतीय वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, 10,000/- रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, उपगत व्यय का पचास प्रतिशत ; और

(तीन) ऐसे पेंशनर जो द्वितीय वर्ग तथा प्रथम वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं 5,000/- रूपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, उपगत व्यय का पच्चीस प्रतिशत ।

(6). ये संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(गोविन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

वित्त निर्देश 06/2004

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 16.01.2004

क्रमांक 58/1057/03/वि/नि/चार:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ पेंशनर कल्याण निधि नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम ''6'' के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए,

अर्थात:-

''6'' सहायता की अधिकतम सीमा-

नियम 4-क के अधीन सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-

(क) राज्य के भीतर उपचार के लिए एक वर्ष में रू. 10,000 (दस हजार) ।

(ख) राज्य के बाहर उपचार के लिए प्रत्येक मामले में रूपये 30,000 (तीस हजार) ।

2. नियम 5 में विद्यमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात:-

''परन्तु यह और कि राज्य के बाहर उपचार के लिए सहायता केवल उन बीमारियों तथा अस्पतालों के लिये दी जाएगी, जो परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध है।''

3. विद्यमान परिशिष्ट-1 के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात:-

परिशिष्ट–1

(राज्य के बाहर उपचार हेतु बीमारियों तथा अस्पतालों की सूची)
(नियम–5 देखिए)

. बीमारियों की सूचीः–

(1) सभी प्रकार के कैंसर,
(2) ओपन हार्ट सर्जरी,
(3) कार्डियक फेल्योर,
(4) गुर्दा प्रत्यारोपण,
(5) जटिल (कॉम्प्लिकेटिड) नेत्र शल्य क्रिया,
(6) जटिल (कॉम्प्लिकेटिड) न्यूरो सर्जरी,
(7) जोड़ का पुनःस्थापन ।

2. अनुमोदित चिकित्सालयों की सूची

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
(2) जी.पी.पंत हास्पिटल, नई दिल्ली
(3) बी.एच.यू. वाराणसी
(4) के.ई.एम. हास्पिटल, मुंबई
(5) बाम्बे हास्पिटल मुंबई
(6) जशलोक हास्पिटल मुंबई
(7) बी.वाय.एल.नायर हास्पिटल मुंबई
(8) टाटा मेमोरियल हास्पिटल मुंबई
(9) नानावटी हास्पिटल मुंबई
(10) श्री चित्र तिरूणाल इंस्टिट्यूट, त्रिवेंद्रम
(11) सी.एम.एस. वेल्लूर
(12) निजाम इंस्टिट्यूट, हैदराबाद
(13) पंडालिया कार्डियो थोरेसिक फाउंडेशन, चेन्नई
(14) अपोलो हास्पिटल, चेन्नई
(15) शंकर नेत्रालय, चेन्नई
(16) पी.जी.आई. लखनऊ
(17) सदर्न रेल्वे हास्पिटल, पेराम्बूर
(18) एल.एन.टी.पी. हास्पिटल, नई दिल्ली

(19) एस्कार्ट हार्ट इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली
(20) बत्रा हास्पिटल, नई दिल्ली
(21) अपोलो हास्पिटल, हैदराबाद
(22) इंद्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, दिल्ली
(23) लीलावती हास्पिटल, मुंबई
(24) मेट्रो हास्पिटल, नोएडा
(25) मेडविन हास्पिटल, हैदराबाद
(26) सर गंगाराम हास्पिटल, नई दिल्ली
(27) चोइथराम हास्पिटल, इंदौर (केवल जांच हेतु)

3. राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु सहायता देने के लिए राज्य के भीतर के निम्नलिखित चिकित्सालयों को भी उन्ही रोगों तथा चिकित्सालयों के समकक्ष माना जावेगा:-

(1) अपोलो हास्पिटल, बिलासपुर
(2) मार्डन मेडिकल इंस्टिट्यूट, लालपुर, रायपुर
(3) एस्कार्ट हाई कमान्ड सेन्टर, रायपुर
(4) राज्य में स्थित समस्त शासकीय चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग

पृ0क्र0 59/1057/03/वि/नि/चार

रायपुर, दिनांक 16.01.2004

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
12. आयुक्त, जन संपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
14. समस्त सचिव, विशेष सचिव,/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढत्र ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
20. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
21. समस्त सदस्य, पेंशन कल्याण मण्डल छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

वित्त निर्देश 26/2006

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त,2006

क्रमांक 267 /260/वित्त/नियम/चार/2006,

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 के संबंध में ।

पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 के नियम 6 में राज्य के बाहर एवं राज्य के भीतर सहायता की अधिकतम राशि क्रमशः रूपये 30000 एवं रूपये 10000 प्रतिवर्ष निर्धारित है । इन नियमों के नियम 7 में निम्नानुसार सहायता राशि निर्धारित है ।

(एक) लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर ।

(दो) दुर्घटना से क्षतिग्रस्त होने पर या अन्य दैविक विपत्ति की स्थिति में प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर ।

(तीन)	चश्में के लिये	रूपये 350 (तीन सौ पचास केवल)
(चार)	दांतो के सेट के लिये	रूपये 1000 (एक हजार केवल)
(पांच)	श्रवण यंत्र के लिये	रूपये 700 (सात सौ केवल)
(छः)	तकनीकी शिक्षा के लिये	रूपये 1000 (एक हजार केवल)
(सात)	स्केनिंग/डायलेसिस स्ट्रेस टेस्ट /ई.सी.जी. तथा विशेष प्रकार के टेस्ट हेतु	रूपये 1500 (पन्द्रह सौ केवल)

कतिपय पेंशनरों द्वारा राज्य शासन को यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि नियम 7 में निर्धारित सीमा परिवार के एक सदस्य के लिये है, अथवा सभी सदस्यों के लिए ।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 7 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मामले में पेंशनर एवं उसके परिवार के सदस्यों (पेंशन नियम 47 में यथा परिभाषित) को सहायता की पात्रता अलग-अलग होगी, किन्तु वर्ष में पेंशनर एवं उसके परिवार के सदस्यों को सहायता की सम्मिलित अधिकतम राशि नियम 6 की सीमा के अधीन होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 268 /260/वित्त/नियम/चार/2006, रायपुर, दिनांक 24 अगस्त,2006

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—0—

क्रमांक एफ 1–13 / 2008 / स्था. / चार

नया रायपुर, दिनांक 10 / 12 / 2013

प्रति,

संचालक,
कोष, लेखा एवं पेंशन, संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :– पेंशनर कल्याण मण्डल एवं कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल में वृद्धि करने बाबत् ।
संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.12.2013.

—::—

कृपया संदर्भित अधिसूचना का अवलोकन करें, जिसके द्वारा पेंशनर कल्याण मण्डल एवं मण्डल के मनोनीत अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में **दिनांक 31.03.2014** तक वृद्धि की गयी है ।

2/– निर्देशानुसर अनुरोध है कि कृपया उक्त **अधिसूचना** के अनुकम में मण्डल के पुनर्गठन का प्रस्ताव 01 माह के भीतर अनिवार्य रूप से **उपलब्ध** कराने का कष्ट करें ।

(मुकुन्द गजभिये)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

10/12/2013